निवेशक सावधान !

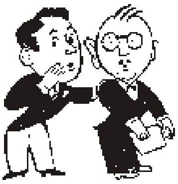

क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कारोबार कर रहे हैं जो एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली से बाहर प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग करता है ?

पता चला है कि कुछ असैद्धांतिक तत्व अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों की प्रस्थापित ट्रेडिंग प्रणाली से बाहर शेयरों की ट्रेडिंग का प्रबंध करते हैं. पता चला है कि वे एनएसई जैसे प्रमुख एक्सचेंजों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ऑन–लाइन दिए गए शेयर मूल्यों को संदर्भ मूल्य मानते हैं और ऐसे विनिमय का लेखाजोखा और उनका निपटारा अनधिकृत रूप से, अधिकतर नकद आधार पर रखते हैं. ये गतिविधियाँ अनधिकारिक कैरी फॉरवर्ड पद्धति के साथ भी संचालित हो सकती हैं.

यदि एनएसई का कोई भी ट्रेडिंग सदस्य या उसका पंजीकृत सब–ब्रोकर ऐसी गतिविधियाँ चलाता है तो ये एनएसई के कानूनों, उपकानूनों तथा नियमों का उल्लंघन होगा जिसके लिए एनएसई द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

आपको अवैध ट्रेनिंग से स्वयं को बचाए रखने की ज़रूरत क्यों है ?

बाज़ारों के माध्यम से निवेश के लिए निवेशक जिन तंत्रों का अनुसरण करता है वह हमारे लिए चिंता का विषय है. एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रणाली से बाहर ट्रेडिंग व्यवस्थाओं में हिस्सा लेनेवाले निवेशक कोई भी विवाद उभरने पर एनएसई के शिकायत निवारण, न्यायिक पंचायत सुविधा तथा निवेशक सुरक्षा कोष का सहारा नहीं ले पाएंगे.

सही निवेश करें, सुरक्षित निवेश करें और अपने तथ्य भलीभाँति जानें

- प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री सेबी अधिकृत ब्रोकर या उनके पंजीकृत सब–ब्रोकरों के माध्यम से करें. वे जहाँ से भी ट्रेडिंग की सुविधाएँ प्रदान करते हैं उस हर केंद्र पर उन्हें अपना सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शन करना ज़रूरी होता है.
- मेम्बर कॉन्स्टिट्युएंट एग्रीमेंट क्रियान्वित करें और अपने दलाल से उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करें.
- सुनिश्चित करें कि विनिमय के 24 घंटों के भीतर अपने ब्रोकर से भरा गया कॉन्ट्रैक्ट आप प्राप्त कर लें. एनएसई वेबसाईट www.nseindia.com/content/equities/eq_trdverify.htm पर विनिमय सत्यापन सुविधा (ट्रेड वेरिफिकेशन सुविधा) के माध्यम से आप एनएसई पर विनिमय की शुद्धता की जाँच भी कर सकते हैं. ये जानकारी ट्रेडिंग की तारीख़ से 5 कार्य दिवसों तक उपलब्ध है.

- सुनिश्चित करें कि आपको संबंधित निपटारे की राशि/शेयर एनएसई द्वारा निर्धारित पे आउट दिनांक के अगले कार्य दिन की भीतर मिल जाए.
- अपने शेयरों की डिलीवरी/प्राप्ति सिर्फ़ अपने सेबी अधिकृत ब्रोकर को करें.
- मार्जिन तथा निपटारे की बाध्यताओं के संबंध में अपने सेबी अधिकृत ब्रोकर के माध्यम से होने वाला सारा भुगतान या प्राप्ति सिर्फ़ अकाउंट पेयी चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही करें.

ये दिशानिर्देश आपके लाभ के लिए हैं. इनका पालन करें.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
''एक्सचेंज प्लाज़ा'', बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051.
फ़ोन : 91-22-26598100-8114. फ़ैक्स : 91-22-26598120. ई–मेल : cc_nse@nse.co.in
हमारी वेबसाइट www.nseindia.com पर कृपया विज़िट करें.
एनएसई द्वारा जनहित में जारी.

A B and U - ia